



हरियाणा HARYANA
कुल पंक्तियां 197

द्रस्टनामा

G 722655
कुल शब्द 2233

ओ३म् तत्सत्

श्री गुरु ब्रह्मानन्द ट्रस्ट बणी पूण्डरी (कैथल)

मैं, स्वामी बलेश्वरानन्द सरस्वती, शिष्य श्री गुरु ब्रह्मानन्द सरस्वती जी महन्त एवं मुन्तजिम गुरु ब्रह्मानन्द आश्रम बणी पूण्डरी जिला कैथल (हरियाणा) भारतवर्ष, ट्रस्ट के निर्माता की हैसियत से अपने स्वस्थ मन व स्वस्थ इन्द्रियों द्वारा सोच विचार कर कुल (चल अचल) सम्पत्ति धर्मार्थ मुबलिक श्री गुरु ब्रह्मानन्द ट्रस्ट बणी पूण्डरी (कैथल) बनाने की घोषणा करता हूँ। यह ट्रस्ट वर्तमान व भविष्य में गुरु ब्रह्मानन्द सरस्वती जी की शिक्षाओं का प्रचार व प्रसार करने के अलावा पर्यावरण शुद्धि एवं विश्वशान्ति के लिए यज्ञ व भंडारों का आयोजन एवं वृक्षारोपण करेगा। अन्धविश्वासों को दूर करने के लिए वेद प्रचार करेगा। समाज में व्याप्त कुरीतियों जैसे भ्रूण हत्या, नशा उन्मूलन, बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल मजदूरी, बन्धुआ मजदूरी, गौवध आदि के निवारण हेतु कार्य करेगा। बच्चों के शारीरिक मानसिक, आत्मिक व चारित्रिक निर्माण के लिए योग शिविरों का आयोजन एवं योग केंद्रों की स्थापना करेगा। गऊ माता एवं अन्य आवारा पशुओं के पालन पोषण एवं निवास (गऊशालाओं) आदि की स्थापना करेगा। शिक्षा प्रचार हेतु शिक्षण संस्थान स्थापित करना एवं आर्थिक रूप से पिछड़े हुए प्रतिभावान बच्चों (विद्यार्थियों) की सहायता करेगा। अनाथ, गरीब व बेसहारा बच्चों व वृद्धों को आश्रय प्रदान करने हेतु अनाथालय, वृदाश्रमों की स्थापना करेगा। देशभक्तों को सम्मानित करना उनके जन्मदिन मनाना एवं चुनकी प्रतिमाएं लगाएगा। लोगों के स्वास्थ्य हेतु औषधि वितरण एवं औषधालयों का निर्माण करना। जरूरतमंद कन्याओं के विवाह पर सहायता व सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन करेगा। दैविय आपत्ति एवं अन्य आपदाओं के समय पर सहायता शिविरों का आयोजन एवं पीडित समाज को आर्थिक सहायता प्रदान करेगा। गुरु ब्रह्मानन्द सरस्वती जी की शिक्षाओं के प्रचार व प्रसार के लिए पत्रिकाओं का प्रकाशन करेगा।

मैं उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अपने स्वस्थ मन व स्वस्थ इन्द्रियों द्वारा सोच-विचार कर स्थिर बुद्धि और स्थित चित की अवस्था में बिना किसी दबाव व पूर्वाग्रह के ज्ञान सेवा हेतु सार्वजनिक ट्रस्ट श्री गुरु ब्रह्मानन्द ट्रस्ट बणी पूण्डरी (कैथल) की स्थापना करता हूँ। जो सम्पत्ति चल व अचल मेरे अधिकार में है। उसे यह ट्रस्ट उपरोक्त कार्यों हेतु परोक्ष रूप से प्रयोग ला सकेगा। मैं स्वैच्छिक मन से 11,000/रु ट्रस्ट बनाने हेतु प्रदान करता हूँ।

बलेश्वरानन्द

1295
20/3/12 150

स्वामी व बलेश्वरदास शर्मा व गुरु लखन दस्तावेज की पुस्तिका

प्रलेख नः 7764

दिनांक 27/03/2012

डीड संबंधी विवरण	
डीड का नाम	TRUST
तहसील/सब-तहसील	पुण्डरी
गांव/शहर	पुण्डरी
धन संबंधी विवरण	
	स्टाम्प ड्यूटी की राशि 100.00 रुपये
रजिस्ट्रेशन फीस की राशि 50.00 रुपये	पेस्टिंग शुल्क 5.00 रुपये
	रूपये

Drafted By: विरेन्द्र शर्मा वकील केथल

यह प्रलेख आज दिनांक 27/03/2012 दिन मंगलवार समय बजे श्री/श्रीमती/कुमारी श्री बलेश्वरदास सरसवती पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती/कुमारी श्री गुरुब्रह्मदास सरसवती निवासी गुरुब्रह्मदास आश्रम बणी पुण्डरी जिला केथल द्वारा पंजीकरण हेतु प्रस्तुत किया गया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता

उप/सयुक्त पंजीयन अधिकारी
पुण्डरी

श्री श्री बलेश्वरदास सरसवती

उपरोक्त न्यासकर्ता व श्री/श्रीमती/कुमारी संवालक स्वामी दयादास सरसवती न्यासी हाजिर है। प्रस्तुत प्रलेख के तथ्यों को दोनों पक्षा ने सुनकर तथा समझकर स्वीकार किया। दोनों पक्षों की पहचान श्री/श्रीमती/कुमारी कर्म सिंह नम्बरदार पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री निवासी गुरुब्रह्मदास श्री/श्रीमती/कुमारी बलवान सिंह नम्बरदार पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती/कुमारी निवासी सांच ने की। साक्षी नः 1 को हम नम्बरदार/अधिवक्ता के रूप में जानते हैं तथा वह साक्षी नः 2 की पहचान करता है।

दिनांक 27/03/2012

उप/सयुक्त पंजीयन अधिकारी
पुण्डरी

ट्रस्ट का नाम - श्री गुरु ब्रह्मानन्द ट्रस्ट बणी पूण्डरी (कैथल)
 ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र - सम्पूर्ण भारतवर्ष
 ट्रस्ट संस्थापक - स्वामी बलेश्वरानन्द सरस्वती, शिष्य श्री गुरु ब्रह्मानन्द सरस्वती जी
 मुख्य कार्यालय - गुरु ब्रह्मानन्द आश्रम बणी पूण्डरी जिला कैथल (हरियाणा) भारतवर्ष,

उद्देश्य

1. भविष्य में गुरु ब्रह्मानन्द सरस्वती जी की शिक्षाओं का प्रचार व प्रसार करना।
2. पर्यावरण शुद्धि व विश्वशान्ति के लिए यज्ञ व भंडारों का आयोजन एवं वृक्षारोपण करना।
3. अन्धविश्वासों को दूर करने के लिए वेद प्रचार करना।
4. समाज में व्याप्त कुरीतियों जैसे भ्रूण हत्या, नशा-उन्मूलन, बाल विवाह, दहेज प्रथा बाल मजदूरी, बन्धुआ मजदूरी, गौवध आदि के निवारण हेतु कार्य करना।
5. बच्चों के चारित्रिक निर्माण हेतु योग शिविर लगाना व योग केंद्रों की स्थापना करना।
6. गऊ माता एवं अन्य आवारा पशुओं के पालन के लिए गऊशालाओं की स्थापना करना।
7. शिक्षा हेतु शिक्षण संस्थान स्थापित कर गरीब प्रतिभावान विद्यार्थियों की सहायता करना।
8. अनाथ, बेसहारा बच्चों व वृद्धों के लिए आश्रय हेतु अनाथालय, वृद्धाश्रमों की स्थापना करना।
9. देश-भक्तों को सम्मानित करना उनके जन्मदिन मनाना एवं उनकी प्रतिमाएं लगाना।
10. लोगों के स्वास्थ्य हेतु औषधि वितरण एवं औषधालयों का निर्माण करना।
11. गरीब कन्याओं के विवाह में सहायता व सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन करना।
12. दैविय आपत्ति एवं अन्य आपदाओं के समय पर सहायता शिविरों का आयोजन करना।
13. गुरु ब्रह्मानन्द सरस्वती जी की शिक्षाओं के प्रचार हेतु पत्रिकाओं का प्रकाशन करना।

Dr. Balashvaranand

पदाधिकारी

1. स्वामी दयानन्द सरस्वती शिष्य गुरु ब्रह्मानन्द सरस्वती जी।
निवासी आश्रम बणी पूण्डरी संचालक
2. स्वामी बलदेवानन्द सरस्वती शिष्य गुरु ब्रह्मानन्द सरस्वती जी।
गांव सिद्धपुर त0 नीलोखेड़ी (करनाल) ट्रस्टी
3. ब्रह्मचारी भगवान देव शिष्य गुरु ब्रह्मानन्द सरस्वती जी।
निवासी आश्रम बणी पूण्डरी ट्रस्टी

सम्पति मार्फत महन्त व मुन्तजिम स्वामी बलेश्वरानन्द सरस्वती शिष्य गुरु ब्रह्मानन्द सरस्वती यह कि मेरे द्वारा दी गई ग्यारह हजार रुपये की राशि ट्रस्ट के खाते में जमा होगी मेरे द्वारा ट्रस्ट को प्रयोग हेतु दी जाने वाली चल-अचल सम्पति का विवरण इस प्रकार है।

अचल सम्पति

1. कुल भूमि 149 कनाल 14 मरले।
2. गुरु ब्रह्मानन्द सरस्वती जी की समाधि।
3. भव्य यज्ञशाला, दस कमरे, चार बरामदे, चार स्नान गृह, एक नलका, एक सबमर्सिबल नलका, चार शौचालय।
4. एक पुस्तकालय, चार अलमारी, सात सौ पुस्तकें।
5. गुगा मैड़ी मन्दिर।
6. अन्धा बाबा की समाधि।
7. सबमर्सिबल पम्प एवं उसका कमरा।
8. निवास स्थान की एक एकड़ में चार दीवारी।
9. एक एकड़ में गऊशाला की चार दीवारी।
10. आठ कमरे दो हाल।

चल सम्पत्ति

15 पंखे, एक फ्रिज, एक कुलर, एक मिक्सी, एक मदानी, आठ ड्रम अनाज के, चार ड्रम छोटे, दो बड़ी पेटी कपड़ा डालने हेतु, गैस चुल्हा, सिलैन्डर, डीजल भट्ठी, बीस खाट, दस तख्त, दो दीवान, चार सौ पचास थालियां, बीस जग, चार सौ अस्सी गिलास, चार बड़े पतीले, छः पतीले छोटे एलमुनियम के, पैन्तालिस बाल्टी, तीन टब, दो प्रैशर कुकर, एक चक्की आटा, एक लाउडस्पीकर सैट, एक डिस्कवर मोटर साईकल एच आर शुन्य आठ शुन्य चार सौ चौसठ (एच आर 08 0464) एक बैल बुग्गी, एक रिक्शा, दो साईकिल, दो मेज, पन्द्रह कुर्सियाँ आदि।

बलेश्वरानन्द

गऊशाला के पशु (24)

गऊमाता बडी- 16

बछड़ी - 6

बछड़ा - 1

सांड - 1

बिजली की मशीन चारा काटने वाली, कुल्हाड़ी, कस्सी, दरातीं, दरातं, बिस्तर, दरी आदि।

उपरोक्त चल-अचल सम्पत्ति परोक्ष रूप से ट्रस्ट के कार्यो एवं उद्देश्यों हेतू प्रयोग में लाई जा सकेगी। मै अपने पूर्ण होशो हवास से उपरोक्त सम्पत्ति को उपरोक्त ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतू इस्तेमाल करने के लिए तीनों ट्रस्टी को अधिकृत मार्फत मुख्यारे खास रजिस्ट्रार महोदय के समक्ष करवा दूँगा। ट्रस्टी मुख्यारे खास अनुसार उपरोक्त चल अचल सम्पत्ति उद्देश्यों की पूर्ति हेतू प्रयोग में ला सकेगें आज के बाद उपरोक्त ट्रस्ट का उपरोक्त सम्पत्ति पर पूर्ण अधिकार होगा। जो भी आय/धन किसी व्यक्ति, फर्म या ट्रस्ट से प्राप्त होगा या ट्रस्ट की आय से खरीदा जाएगा वह सब सम्पत्ति ट्रस्ट की होगी। कोई भी ट्रस्टी या अन्य ट्रस्ट की सम्पत्ति को अपनी व्यक्तिगत सम्पत्ति नहीं बना सकेगा।

वर्तमान ट्रस्टी

इस ट्रस्ट के निम्नलिखित व्यक्ति वर्तमान ट्रस्टी नियुक्त किये गए हैं।

1. स्वामी दयानन्द सरस्वती शिष्य गुरु ब्रह्मानन्द सरस्वती जी।
निवासी आश्रम बणी पूण्डरी जिला कैथल (हरियाणा)
2. स्वामी बलदेवानन्द सरस्वती शिष्य गुरु ब्रह्मानन्द सरस्वती जी।
गांव सिद्धपुर त0 निलोखेड़ी जिला करनाल (हरियाणा)
3. ब्रह्मचारी भगवान देव शिष्य गुरु ब्रह्मानन्द सरस्वती जी।
निवासी आश्रम बणी पूण्डरी जिला कैथल (हरियाणा)

उपरोक्त ट्रस्टी आजीवन इस ट्रस्ट के पद पर बने रहेंगें किसी सदस्य के त्याग पत्र देने अथवा अदालत द्वारा दिवालिया या पागल घोषित किये जाने पर हटाए जा सकते हैं अथवा निधन पर खाली स्थान बाकि शेष दोनों ट्रस्टियों की सहमति से भरा जायेगा। दुर्घटना में एक साथ दो सदस्यों की मौत होने पर बाकि बचे एक ट्रस्टी को अधिकार होगा की वह खाली स्थानों पर सदस्य छः महीने के अन्दर नियुक्ति करे लेकिन नया ट्रस्टी पहले वाले ट्रस्टियों के रिश्तेदार, परिवार सें नहीं होगा ट्रस्टी केवल सन्यासी गृहत्यागी ही होगा।

ब्रह्मचारी भगवान देव

संचालक/अध्यक्ष

1. स्वामी दयानन्द सरस्वती आजीवन ट्रस्ट के संचालक/अध्यक्ष रहेंगे अपनी इच्छा से जब चाहे पद छोड़ सकते हैं।
2. संचालक/अध्यक्ष को अपने जीवन काल में अपना उत्तराधिकारी चुनने का पूर्ण अधिकार होगा। उत्तराधिकारी गृह त्यागी/सन्यासी ही होगा।
3. अगर संचालक को लगता है कि कोई ट्रस्टी ट्रस्ट के विपरीत कार्य कर रहा है। और उसके कार्यों से ट्रस्ट को कोई क्षति हो सकती है तो ऐसे सदस्य को ट्रस्ट से निकालने का संचालक को पूर्ण अधिकार होगा।
4. नया ट्रस्टी पहले वाले ट्रस्टियों के रिश्तेदार/परिवार में से नहीं होगा ट्रस्टी केवल सन्यासी/गृहत्यागी ही होगा।
5. विशेष परिस्थितियों में ट्रस्ट के हितों को ध्यान में रखते हुए। किसी ट्रस्टी के निष्कासित/मृत्यु हो जाने पर छः माह के अन्दर नया ट्रस्टी बाकी ट्रस्टी की सहमति से चुना जाएगा।
6. ट्रस्टी की संख्या तीन ही रहेगी।
7. संचालक पच्चीस हजार रुपये तक की राशि ट्रस्ट के खर्चों के लिए अपने पास रख सकता है एवं पच्चास हजार रुपये तक की राशि बिना ट्रस्टीज की अनुमति से आपत्तिकाल में बैंक से निकाल सकता है लेकिन बाद में बैठक बुलाकर पच्चास हजार रुपये की राशि जो खर्च की है उसका प्रस्ताव पारित करवाना होगा।

ट्रस्टी बनने की योग्यता

1. अट्ठारह वर्ष आयु पूर्ण होने के बाद ट्रस्टी बनने का अधिकार होगा।
2. ट्रस्टी भारत का नागरिक ही हो सकता है।
3. पागल या दिवालिया घोषित न हो।
4. न्यायालय द्वारा दोषी करार न हो।
5. ट्रस्टी सदाचारी एवं ट्रस्ट के प्रति समर्पित हो।
6. ट्रस्टी केवल गृह त्यागी, सन्यासी ही होगा।

ट्रस्ट का खाता

उपरोक्त ट्रस्ट का खाता किसी भी अधिकृत बैंक में ट्रस्ट के नाम से खोला जाएगा। तीन ट्रस्टीगण में से किन्ही दो ट्रस्टीगण के हस्ताक्षर से खाता संचालित होगा जिसमें संचालक के हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे।

ट्रस्टीगण के अधिकार एवं कर्तव्य

1. वार्षिक कार्यक्रम की रूप रेखा तैयार करना एवं भविष्य के लिए कार्यक्रम निर्धारित करना।
2. वर्ष भर का आय व्यय का ब्यौरा लेना व पास करना।
3. हिसाब किताब की जांच के लिए आडिटर नियुक्त करना।
4. यदि किसी सदस्य को ट्रस्ट के कार्य के लिए योग्य न समझें या उससे ट्रस्ट को कोई हानि हो रही है या हो सकती है। उसको निष्कासित कर नये ट्रस्टी की नियुक्ति करना।
5. ट्रस्ट के लिए बहुमत द्वारा कर्मचारियों की नियुक्ति करना एवं उनके वेतन का निर्धारण करना, उन्हें निलम्बित करना, हटाना तथा उनकी नौकरी के नियम, उप नियम बनाना एवं संशोधन करना या किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कारवाई करना।
6. ट्रस्ट को सुचारु रूप से चलाने के लिए नियम व उप नियम बनाना।
7. ट्रस्ट की धन राशि व आय को ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति लिए व्यय करना।
8. ट्रस्ट की कुल सम्पत्ति का प्रबन्ध करना, देखभाल करना व वृद्धि हेतु कार्य एवं उपाय करना।
9. ट्रस्ट की सम्पत्ति के बारे में कोई झगड़ा निपटाना, हिसाब-किताब करना, कर्जा/लेना समझौता करना, मुकदमा करना, फैसला आदि करना उसको मन्जूर करना या छोड़ना उसके बारे में किसी को अधिकार देना।
10. ट्रस्ट की सम्पत्ति की मुरम्मत करना, नव निर्माण करना, टैक्सों की अदायगी करना।
11. ट्रस्ट के कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए अन्य कोई भी कार्य करना।
12. यदि कोई ट्रस्टी बोर्ड आफ ट्रस्टीज द्वारा ट्रस्ट के कार्यों के लिए फुलटाईम के लिए रखा जाता है तो वह ट्रस्ट से वेतन लेने का अधिकारी होगा।
13. यह कि ट्रस्ट के नियमों का पालन करना।
14. यह कि ट्रस्टीगण ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेंगे जो आयकर अधिनियम की धारा (12, 12-ए 13, 15, 21, 325 व 80 जी) की अवहेलना करता हो।
15. यह स्पष्ट रूप से लिखा जाता है कि यदि किसी समय ट्रस्टीगण इस ट्रस्ट को सुचारु रूप से चलाने में असुविधा अनुभव करें और ट्रस्ट बन्द होने की स्थिति में आ जाए तो ट्रस्टीगण बैठक में प्रस्ताव पास कर ट्रस्ट की सारी सम्पत्ति अगर ट्रस्ट निर्माता जीवित हो तो उसे वापिस कर देंगे अगर ट्रस्ट निर्माता जीवित न हुआ तो ऐसी स्थिति में ट्रस्ट की सारी सम्पत्ति गुरु ब्रह्मानन्द सरस्वती जी महाराज की समाधि जो गुरु ब्रह्मानन्द आश्रम बणी पूण्डरी में स्थित है। और यहीं पर गुरु ब्रह्मानन्द सरस्वती जी का अन्तिम संस्कार हुआ था उनकी समाधि के नाम होगी। गुरु जी की समाधि ही एक मात्र इस सम्पत्ति की मालिक रहेगी।
16. वार्षिक बैठक वर्ष में एक बार होगी जिसमें गत वर्ष का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया जाएगा जिसकी सूचना एक महीना पूर्व दी जाएगी। साधारण सम्मेलन व बैठक संचालक की आज्ञा से आवश्यकता अनुसार की जाएगी। जिसमें तीन दिन की पूर्व सूचना आवश्यक होगी। बैठकों में ट्रस्ट से सम्बन्धित समस्याओं के बारे में विचार विमर्श कर समाधान किया जाएगा नियम-उप नियम बनाये जाएंगे व उनमें संशोधन किए जाएंगे।
17. कुल भूमि 149 कनाल 14 मरले में से शिक्षा के प्रसार प्रचार के लिए चौ० ईश्वर सिंह कन्या शिक्षण महाविद्यालय फतेहपुर पूण्डरी को लगभग 69 कनाल भूमि दी हुई है। जिसको कुछ

ब्रह्मानन्द

लोगों द्वारा न्यायालय में चुनौती दी हुई है अगर भविष्य में महाविद्यालय को दी गई भूमि के बारे में माननीय न्यायालय महाविद्यालय को भूमि वापिस मुझको/डेरा लौटाने के बारे में कोई आदेश करता है तो वह 67 कनाल भूमि भी श्री गुरु ब्रह्मानन्द ट्रस्ट बणी पूण्डरी की होगी ट्रस्ट ही उक्त भूमि का मालिक होगा।

- 18 यह ट्रस्ट अपने अधीन समितियां व उप समितियाँ गठित कर सकता है। ये समितियां व उपसमितियां ट्रस्ट के अधीन कार्य करेंगी।
- 19 ट्रस्ट का सम्पत्ति पर पूर्ण अधिकार एवं कार्यकाल एक अप्रैल 2012 से मान्य होगा।

संशोधन

यह कि ट्रस्ट के सभी कार्य बहुमत या सर्वसम्मति से पास किये जाएंगे यदि किसी समय इस ट्रस्ट में कोई उद्देश्य नियम आदि को हटाना तथा किसी प्रकार का संशोधन करना चाहे तो संचालक और ट्रस्टीगण सर्वसम्मति से विशेष प्रस्ताव द्वारा पारित कर सकेंगे। परन्तु ट्रस्ट का नाम किसी भी हालत में परिवर्तित नहीं कर सकेंगे।

महत्त्वपूर्ण

यदि किसी कारणवश तीनों ट्रस्टीगणों की अचानक मृत्यु हो जाती हैं और संचालक कोई भी दस्तावेज या किसी भी व्यक्ति को मनोनित करके नहीं जाता है तो इस अवस्था में ट्रस्ट की चल-अचल सम्पत्ति गुरु ब्रह्मानन्द आश्रम बणी में स्थित उनकी समाधि के नाम हो जाएगी।

उक्त सम्पत्ति का समाधि के इलावा कोई भी वारिसान न होगा। यह सम्पत्ति समाधि की मलकियत होगी उपरोक्त योग्यता के अनुसार कोई भी व्यक्ति बाद में यहां सेवा/संचालन कर सकता है लेकिन कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत मालिक नहीं बन सकेगा। और इस सम्पत्ति को लम्बे समय तक ठेके पर न दे सकेगा न बेच पाएगा किसी भी हालत में सम्पत्ति हस्तान्तरित नहीं होगी किसी भी प्रकार से चल-अचल सम्पत्ति को कोई भी रहन, दान, विक्रय नहीं कर सकेगा लेकिन विकास एवं विस्तार हेतु सर्वसम्मति से बैंक आदि से ऋण लिया जा सकता है।

अतः यह ट्रस्टनामा तहरीर कर दिया है संस्थापक द्वारा मनोनीत संचालक व अन्य ट्रस्टीगण ने इस ट्रस्टनामे को पढकर समझ कर अपनी सहमति प्रदान करते हुए गवाहान के समक्ष हस्ताक्षर किये। जो सभी को मन्जूर है अतः यह ट्रस्टनामा लिख दिया है ताकि सन्द रहे। और समय पर काम आए।

दिनांक.....

ट्रस्टीगण कमल सिंह नमरपाल ट्रस्ट संस्थापक
अनोडा

1 देवी नन्द

गवाहन

2 बलदेवी नन्द

गवाहन

लेखक

VERENDER SHARMA
Advocate
Distt. Courts KATHAL



अनोडा

Reg. No.

Reg. Year

Book No.

7,764

2011-2012

1



न्यासकर्ता



न्यासी



गवाह

न्यासकर्ता	श्री बलेश्वरानन्द सरसवती	
न्यासी	संचालक स्वामी दयानन्द सरसवती	
गवाह	कर्म सिंह नम्बरदार	
गवाह	बलवान सिंह नम्बरदार	

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यह प्रलेख क्रमांक 7,764 आज दिनांक 27/03/2012 को बही न: 1 जिल्द न: 5 व पृष्ठ न: 70 पर पंजीकृत किया गया तथा इसकी एक प्रति अतिरिक्त बही सख्या 1 जिल्द न: 71 के पृष्ठ सख्या 98 से 100 पर चिपकाई गयी। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि इस दस्तावेज के प्रस्तुतकर्ता और गवाहों ने अपने हस्ताक्षर/निशान अंगुठा मेरे सामने किये हैं।

दिनांक 27/03/2012

उप/सयुक्त पंजीयन अधिकारी
पुन्डरी